छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)

शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) – 492001

दूरभाष नंबर :– 0771–4918927

Email:- office.rera.cg@gov.in Website:-https://rera.cgstate.gov.in/

क्रमांक / 101 / रेरा / 2024 / 114 रायपुर, दिनाँक–09 / 01 / 2024

/ / परिपत्र / /

विषय :– त्रैमासिक अद्यतन में अपलोड की गई जानकारी में सुधार किये जाने के संबंध में।

संदर्भ :– प्राधिकरण का परिपत्र क्रमांक–17 / रेरा / 2018 / 562, रायपुर दिनाँक 28.09.2018 ।

––00––

भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–11 में प्रमोटर्स द्वारा त्रैमासिक अद्यतन किया जाना उपबंधित किया गया है। प्राधिकरण ने भी संदर्भित परिपत्र के माध्यम से इस संबंध में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किये हैं। प्राधिकरण द्वारा अपने आदेश क्रमांक–1089, दिनाँक 16.08.2023 के माध्यम से विभिन्न हितधारकों की संयुक्त समिति गठित की गई, जिसने त्रैमासिक अद्यतन में सुधार करने की प्रक्रिया को सरल बनाने संबंधी सुझाव दिये हैं। प्राधिकरण द्वारा उक्त सुझावों से सहमत होते हुये प्रमोटर्स द्वारा त्रैमासिक अद्यतन के समय ऑनलाईन अपलोड की गई जानकारी में प्रमोटर्स द्वारा स्वतः सुधार करने के संबंध में अधिनियम की धारा–37 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते है :–

1. प्रमोटर्स द्वारा बिना विलंब शुल्क के त्रैमासिक अद्यतन करने हेतु निर्धारित समयावधि 2 माह है। प्रमोटर्स द्वारा उक्त अवधि के दौरान जिस दिनाँक को त्रैमासिक जानकारी अपलोड की जावेगी, उससे 10 दिवस के भीतर अपलोड में की गई त्रुटि को स्वतः ऑनलाईन सुधार करने का अवसर प्राप्त होगा। किन्तु यदि प्रमोटर द्वारा त्रैमासिक अपलोड करने की दिनाँक बिना विलंब शुल्क के जानकारी अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि (यथास्थिति 28 फरवरी / 31 मई / 31 अगस्त / 30 नवम्बर) से 10 दिवस से कम है, तो त्रुटि सुधार हेतु उपलब्ध समयावधि उस त्रैमासिक अवधि की जानकारी अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि (यथास्थिति 28 फरवरी / 31 मई / 31 अगस्त / 30 नवम्बर) होगी।
2. उपरोक्त समयावधि व्यतीत हो जाने उपरांत प्राधिकरण द्वारा अपलोड की गई जानकारी का परीक्षण कर, सही त्रैमासिक जानकारी को वेबपोर्टल पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध करा दिया जावेगा। प्रमोटर्स द्वारा गलत / त्रुटिपूर्ण जानकारी अपलोड किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

3. उपरोक्त हेतु प्राधिकरण द्वारा अपने वेबपोर्टल में आवश्यक अपडेशन किया जा रहा है और सुधार की ऑनलाईन प्रक्रिया को पृथक से परिपत्र के माध्यम से स्पष्ट किया जावेगा।

(माननीय प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित)

रजिस्ट्रार
छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
रायपुर